कार्यालय:– मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक:स्था./2025/98 दिनाँकः 20-11-25

//संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी बाबत् कार्यालय आदेश//

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उमेश वीर आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा इस कार्यालय के पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक 89 दिनाँक 27.10.2025 में आंशिक संशोधन करते हुए श्रीमती ऋतु चंदानी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–01 लालसोट जिला–दौसा के मेडिकल अवकाश पर होने के कारण श्रीमती चंदानी आर.जे.एस की दिनाँक 22.11.2025 की प्रोटोकॉल/रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त करते हुए तालिका में अंकित न्यायिक अधिकारी की प्रोटोकॉल/रिमाण्ड ड्यूटी निम्नानुसार लगाई जाती हैः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	दिनांक
01.	श्रीमती शशि	अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई जिला–दौसा	22.11.2025

नोटः–शेष पूर्व आदेश यथावत रहेंगे।

–sd–
(उमेश वीर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला–दौसा (राज.)

क्रमांक:– 3047 दिनाँकः– 20-11-25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

01– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
02– श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित,करने समस्त आरक्षी केन्द्र
03– श्रीमान सचिव महोदय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा
04– सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री .....
05– प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
06– लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
07– अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
08– उप– निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
09– प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
10– जिला कारागृह दौसा
11– सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की बेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड करे।
12– आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

उमेश वीर 20/11/25
(उमेश वीर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
दौसा, जिला–दौसा (राज.)